भाग १ (ख)

महत्वपुर्ण सरकारी आज्ञाएं

वनविभाग

विज्ञप्तियाँ

जयपुर अगस्त १८, १९५५

संख्या १५७ २१ज. एफ० १५ (७६) वन/५६:- सर्व साधारण की सूचनार्थ राजस्थान वन अधिनियम संख्या १३ सन् १९५३ की धारा २० के अनुसार विज्ञप्त किया जाता है कि अनुसूचित प्र भाग को दिनांक १-५-५५ से आरक्षित वन (रिजर्वड फोरेस्ट) घोषित किया जाता है।

पशुपतिनाथ कौल
सचिव वनविभाग

अनुसूचित प्रथम वर्णन प्रपत्र

आरक्षित वन सीमा विवरण (सीमा चिन्हों के अनुसार या अन्य निश्चित रूपसे)

ग्राम संख्या	फोरेस्ट प्रशासनिक क्षेत्र	रेवन्यू व सामान्य प्रशासनिक क्षेत्र	वनखण्ड संख्या व नाम	क्षेत्रफल वनखण्ड	सीमा विवरण (सीमा चिन्हों अथवा अन्य निश्चित रूपसे)	सीमा ग्राम	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
१	रेन्ज भैंसरोडगढ डिवि० जन चित्तौड़गढ कन्सरवेटर आफ फोरेस्ट पश्चिमी सर्किल उदयपुर	तहसील भैंसरोडगढ सब डिविजनल आफिस बेगूँ कलेक्टर चित्तौड़गढ	मोहना माता सरा	३५४४.२ एकड़	उत्तर:- बलोद खेड़ली हिकाना भैंसरोडगढ। पूर्व:- ग्राम रेन खेड़ा भीमपुरी मा. घोलाई एक. लिंगपुरा ओदवा रथानी खेड़ा व मानी धारखेड़ी व० भैंसरोडगढ और देवान्त खेड़ा। दक्षिण:- देहात इलाका मध्य भारत पश्चिम:- बलोद दोतड़ा बर खेड़ा ग्राम खेड़ माता सरा बन्दावन रायपुर।	बरखेड़ा, बरपुरा, लालपुरिया, रोड़ी, मातासरा, भीमपुरिया, धोलाई, एकलिंगपुरा, ओदवा, रथानीखेड़ा, मानीमारवे, बन्दाराजपुर खेड़ली, अनारा, लिपा	(१) वन सीमा के भीतर की भूमि तथा उपज संबंधी अधिकार अनुसूची द्वितीय के अनुसार है। (२) पूर्ण विवरण सीमा बलोद की फाइल वन बन्दोबस्त अधिकारी कुम्भी के कार्यालय में है।

C.S.
(SUGNA RAM JAT)
DCF, Chittorgarh

20 (28)

अनुसूची द्वितीय

आरक्षित वन मे अधिकारों की विद्यमानता

इस आरक्षित वन में निम्न अधिकार विद्यमान है जो इस सम्बन्ध में समय समय पर बनाये जाने वाले नियमों के अधीन प्रचलित रहेंगे।

(1) ग्राम बस्सीखेड़ा, फतहपुरा, लालपुरिया, रोड़ी, माताखेरा, बन्दा, अमरपालिया, रामपुरा व रतेड़ली :—

(क) अपनी निजी मवेशी अलावा भेड़ बकरी व ऊंट के चराते रहेंगे।

(ख) अपनी निजी खर्चे के लिये अलावा सूखी लकड़ी (ईंधन) व घास सिर बोझसे भी लाते है।

(ग) पशु मरने पर खाल पशु स्वामी बदस्तूर लेजाते रहेंगे।

(2) ग्रामीण देहात में खेती के औजार बनाने के लिये ज्यादा दरख्त एवं इमारती लकड़ी सम्बन्धित रेन्ज से पास प्राप्त कर रेन्ज के बतलाये अनुसार लाते रहेंगे।

(3) निम्न लिखित रास्तों पर आम जनता व बोझ ढोने वाले पशु भी आते जाते रहेंगे।

(1) ग्राम माताखेरा से ग्राम [illegible] की तरफ जाने वाला।

(2) ग्राम के बस्सीखेड़ा से [illegible] भारत जाने वाला।

गलत से नकल की

मातहत प्रमाणित

प्रति [illegible]

सच्ची प्रतिलिपि

सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी
उदयपुर (राज.)

C.S.
(SUGNA RAM JAT)
DCF, Chittorgarh